न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी - मांगी लाल, आर. ए. एस.
राजस्व वादपत्र संख्या - 78/2018
प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता

1. जीत सिंह
2. पूर्ण सिंह

पि. धर्मसिंह जाति रायसिख निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला- हनुमानगढ़ - वादीगण

बनाम्

1. जंगीरसिंह
2. सन्तोख सिंह
3. करनैल सिंह
4. जरनैल सिंह

पुत्रगण गुरदयालसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति रायसिख निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला-हनुमानगढ़।

5. बन्तो
6. ठाकरो
7. अमरो
8. बिन्द्रो

पुत्रियाँ - गुरदयालसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति रायसिख मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

9. जीतो
10. प्रीतो

पुत्रियाँ - भागसिंह जाति रायसिक्ख निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

11. सज्जनसिंह
12. बन्सो

पि. धर्मसिंह पुत्र भागसिंह जाति रायसिख निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला-हनुमानगढ़।

13. पालासिंह
14. हरनामसिंह

पुत्रगण भागसिंह जाति रायसिख निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

उपस्थित:-
1. श्री कनवारीलाल गोड़, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री अब्दुल सत्तार जोईया, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01,09,10।

निर्णय

दिनांक: 04.03.2021

अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 01, 09 व 10 ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14 विरुद्ध वादीगण इस आशय का पेश किया कि वादीगण ने चक 4 एन. डी. आर. के प. न. 179/

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

212 मु.न. 11 कि.न. 16 ता 18, 23, 24 प.न. 180/212 मु.न. 12 किला न. 11, 12, 19 ता 21 प.न. 180/213 मु.न. 15 कि.न. 1, 2 7, 9 ता 14, 17 ता 20 प.न. 179/213 कि.न. 3 ता 7, 15, 16 17 कुल 32 बीघा आराजी में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 को खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर भागसिंह का नाम कलमजब करवाने तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के खिलाफ शाश्वत व्यादेश का अनुतोष चाहा गया है। मुकदमा हाजा में वर्णित आराजी पुनर्वास विभाग द्वारा आवंटित आराजी है जो वर्तमान कागजात माल में राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम से दर्ज है तथा उपर्युक्त आराजी की सनद खातेदार आज तक जारी नहीं हुई है अतः ऐसी स्थिति में जबकि उपर्युक्त आराजी की सनद खातेदारी जारी नहीं हुई हो ऐसी आराजी राजस्थान सरकार के अधीन नहीं होती तथा ऐसी आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते, ऐसी स्थिति में जबकि मुकदमा हाजा में वर्णित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होने के कारण वाद विधि द्वारा वर्जित है तथा ऐसी आराजी बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र पेश नहीं किया जा सकता, इसलिये वादीगण द्वारा पेश वादपत्र विधि द्वारा बाधित होने के कारण नाकाबिल चलने रफ्तार के है तथा खारिज किये जाने योग्य है।

जवाब प्रार्थना के अनुसार प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है और इस तथ्य को स्वीकार किया है कि विवादित आराजी वर्तमान में कागजात माल में राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम से दर्ज है तथा आज तक सनद खातेदारी भी दर्ज नहीं है लेकिन प्रार्थना पत्र के अन्य कथनों से इनकारी है क्योंकि भारत सरकार द्वारा निष्क्रांत भूमियों

के सम्बन्ध में समय-समय पर जो नियम और अधिनियम बनाये गये थे उनको निरस्त करने के उपरान्त केन्द्रीय मंत्री मंडल की आज्ञा संख्या 69/2008 दिनांक 22.05.2008 के मुताबिक पुनर्वास विभाग को समाप्त कर दिया तथा ऐसी समस्त निष्क्रांत कृषि भूमि जिसका आवंटन नहीं किया गया है को राजस्व रिकॉर्ड में सिवाय चक दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये गये तथा भविष्य में इस प्रकार की भूमियों का निस्तारण राजस्व विभाग व अपनिवेशन विभाग द्वारा अपने नियमों के तहत किया जायेगा। इस प्रकार वादीगण / अप्रार्थीगण द्वारा जो वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है वह किसी भी प्रकार से विधि द्वारा बाधित नहीं है अपितु नियमानुसार है व विधिक प्रावधानों के मुताबिक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण सव्यय खारिज फरमावा जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण एवं जवाब प्रार्थना-पत्र अप्रार्थीगण / वादीगण का अध्ययन किया विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुनते हुये संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया।
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण ने दौराने बहस 2018 (2) RRT 906, स्टेट ऑफ राजस्थान Vs अमरसिंह आदि के राजस्व मंडल के निर्णय की प्रति पेश की जिसका ससम्मान अध्ययन, अवलोकन एवं मनन करते हुये प्रार्थना-पत्र के अंतिम विनिश्चय करने में इनका यथोचित उपयोग किया गया।

वादपत्र और पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि चक 4NGR की प.न. 179/212 मु.न. 11 किला न. 16 ता 18 23, 24 प. न. 180/212 मु.न. 12 किला न. 11, 12, 19 ता 21 प. न. 180/213 मु. न. 15 किला न. 1, 2, 7, 9 ता 14, 17 ता 20

मु.नं. 179/213 कि.नं. 03 ता 07, 15, 16, 17 कुल 32 बीघा रा.भा.स. (कस्टो.वि.) भागसिंह S/o ज्ञानसिंह कौम मजहबी सा. मल्लड़खेड़ा अलॉटी के नाम से दर्ज है। वादपत्र की चरण संख्या 05 के अनुसार वादीगण ने ये कथन किया है कि राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि स्व. भागसिंह के नाम दर्ज रहने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है व वादीगण अपनी आराजी पर बैंक से ऋण लेने, पानी की बारी अपने नाम करवाने तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहते है इसलिये वादीगण और प्रतिवादी संख्या 9 ता 14 मुताबिक हक के खातेदार काश्तकार की घोषणा प्राप्त करने अधिकारी है। वादपत्र के अनुतोष के अनुसार भी यह अंकित किया गया है कि उक्त स्व. भागसिंह के नाम दर्ज आराजी के वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 09 ता 14 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता हाजा में से स्व. भागसिंह का नाम कलमजन किया जावें।

तत्पश्चात् राजस्थान सरकार, राजस्व (पुनर्वास) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1 (15) राजस्व / पुनर्वास / 2009 दिनांक 06.10.2009 का भली-भाँति अध्ययन किया गया निष्क्रांत कृषि भूमि के निस्तारण एंव पूर्व के आवंटियों को खातेदारी अधिकार प्रदान करने के सम्बन्ध में मार्गदर्शित किया गया है। परिपत्र में ऐसे प्रकरण जिनमें निष्क्रांत कृषि भूमि के आवंटी गैर-खातेदारों को खातेदारी अधिकार प्रदत्त करना शेष है के सम्बन्ध में नियम है-

"निष्क्रांत कृषि भूमि के आवंटियों को खातेदारी अधिकार देने

के प्रावधान राजस्थान भू- राजस्व (निष्क्रांत कृषि भूमियों का स्थायी आंवटन) नियम 1963 के नियम 5 में है। ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें निष्क्रांत कृषि भूमि के आवंटी गैर-खातेदारों को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुये है, में उक्त नियम 5 के उपबन्धों के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जावें।

निष्कर्षतः वादपत्र की चरण संख्या 5 व अनुतोष में वादीगण द्वारा वादगत भूमि के खातेदारी अधिकारों की मांग की है और निष्क्रांत कृषि भूमियों के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकार राजस्थान सरकार, राजस्व (पुनर्वास) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1(15) राजस्व/पुनर्वास/2009 दिनांक 06.10.2009 व राजस्थान भू- राजस्व (निष्क्रांत कृषि भूमियों का स्थायी आंवटन) नियम 1963 के नियम 5 के अनुसार ही दिये जा सकते है। उक्त नियम व परिपत्र के अनुसार खातेदारी अधिकारों को प्राप्त किया जा सकता है एवंम् तत्पश्चात् ही खातेदारी अधिकारों को लेकर घोषणात्मक दावा लाया जा सकता है। न्यायालय के विनम्र अभिमत में हस्तगत वाद पर विचारण करना विधि द्वारा वर्जित है अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर इस प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाना उचित व विधिसंगत समझते है।

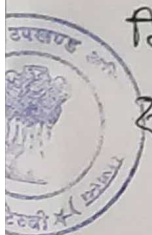

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण प्रतिवादीगण अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के पक्ष एंव वादीगण/अप्रार्थीगण के विपक्ष बखुबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादीगण का वादपत्र विधि द्वारा वर्जित होने के

उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

खारिज / नामंजूर किया जाता है। पत्रावली इसी कदर कैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राज.) टिब्बी

मांगीलाल
आर. ए. एस.
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
टिब्बी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी